

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

आदेश

क्रमांक 909 /गोपनीय /2019
दो-2-1/2019


जबलपुर, दिनांक 10th अगस्त, 2019

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लेखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ (4) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ (5) में उल्लिखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं :-

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री अमिताभ मिश्र, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति, (अत्याचार निवारण), अधिनियम, पन्ना।	पन्ना	जबलपुर	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की हैसियत से।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,


(राजेन्द्र कुमार वाणी) 10/8/19
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक 910 /गोपनीय /2019
दो-2-1/2019


जबलपुर, दिनांक 10th अगस्त, 2019

प्रतिलिपि:-

- उपनियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स हबीबगंज, भोपाल-6, को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल-462004, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वे कृपया श्री अमिताभ मिश्र, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति, (अत्याचार निवारण), अधिनियम, पन्ना की पदस्थापना, उच्च न्यायालय में किये जाने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं उच्च न्यायालय को सौंपे जाने संबंधी आदेश राज्य शासन से प्राप्त कर, इस रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें।
- महालेखाकार, (लेखा/हकदारी) प्रथम (टी0एम0 अनुभाग), कार्यालय महालेखाकार, (लेखा/हकदारी) प्रथम, मध्यप्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर- 474002, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- महालेखाकार (2) मध्यप्रदेश, ग्वालियर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- श्री अमिताभ मिश्र, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति, (अत्याचार निवारण), अधिनियम, पन्ना को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु अग्रेषित। वे कृपया अपनी पदस्थापना के नये स्थान पर दिनांक 26-08-2019 अथवा उसके पूर्व अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करें। कार्यभार सौंपने एवं ग्रहण करने संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को तत्काल प्रेषित करें।
- जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वे कृपया संबंधित अधिकारी को उनके वर्तमान पद का कार्यभार इस प्रकार सौंपने संबंधी निर्देश देवें जिससे कि वे अपनी पदस्थापना के नये स्थान पर दिनांक 26-08-2019 अथवा उसके पूर्व अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर सकें। कार्यभार सौंपने एवं ग्रहण करने संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित करें।

- 7 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, **जबलपुर** को इस निर्देश के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया जाता है कि संबंधित अधिकारी के वेतन तथा भत्ते आदि का व्यय जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना के मद से किया जावेगा।
- 8 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 9 **चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को निम्न न्यायिक अधिकारियों को आदेश की प्रति ई-मेल द्वारा प्रेषित करने हेतु :-**
- (1) जिला जज (निरीक्षण), उच्च न्यायालय प्रांगण, **जबलपुर** / जिला जज (निरीक्षण), जे0ई0-1, जजेस एनक्लेव, रेसीडेन्सी ऐरिया, **इन्दौर** - 452001 / जिला जज (निरीक्षण), 28/बी, रेसकोर्स रोड, मेला ग्राउण्ड के सामने, **ग्वालियर** (म0प्र0) को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (2) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर / इन्दौर को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (3) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, न्यू हाईकोर्ट बिल्डिंग, सिटी सेन्टर, ग्वालियर को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (4) सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 574, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (5) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, (सतर्कता) / (न्यायिक) / (I.L.R. & Examination), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (6) रजिस्ट्रार (Exam & Labour Judiciary) / (जिला स्थापना) / (कार्य एवं अधोसंरचना) / (आई0एल) / (न्यायिक-1) / (न्यायिक-2) / (सतर्कता) / रजिस्ट्रार / सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति / (प्रशासन), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (7) प्रभारी संचालक / अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 10 रजिस्ट्रार (ई0) / लेखा अधिकारी / बजट अधिकारी / ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकाल) / डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक-1) / (न्यायिक-2), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 11 रजिस्ट्रार-कम-माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के प्रमुख निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।
- 12 माननीय न्यायाधिपति श्री _____ के सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।
- 13 माननीय न्यायाधिपति श्री _____ के सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर / इन्दौर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।
- 14 माननीय न्यायाधिपति श्री _____ के सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर / ग्वालियर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।
- 15 रजिस्ट्रार जनरल के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 16 प्रशासनिक अधिकारी, पेन्शन / बजट / सहायक (कार्य) / शिकायत / वेतन निर्धारण (राजपत्रित) / अग्रिम / अवकाश (राजपत्रित) / सिविल चेकर / क्रिमिनल चेकर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।

टिप्पणी :- रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्र. **Reg (IT) (SA) /2018/368**, दिनांक 01/03/2018 के द्वारा ट्रांसफर व पोस्टिंग संबंधी आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकॉपी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन सुनिश्चित करें।


 * (राजेन्द्र कुमार वाणी)
 रजिस्ट्रार जनरल